

तिथि

पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर
(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

पारित
आदेश पर
अनुपालन

30.09.24

न्यायालय अपर समाहर्ता, गिरिडीह।

परमिशन वाद सं०-08/2023-24

काश्तकारी अधिनियम की धारा 1908 की धारा 46(i)(b) के तहत परमिशन हेतु आदेश पत्र

—: आदेश पत्र :-

अभिलेख उपस्थापित। आवेदित भू-खण्ड की बिक्री अनुमति के विरुद्ध आपत्ति आमंत्रण हेतु आम सूचना के तामिला के उपरांत कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। अंचल अधिकारी, पीरटांड के पत्रांक-454 दिनांक-27.07.2024 के द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया है। जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदित खतियानी रैयत का नाम शोमना मांझी वगैरह के नाम से दर्ज है एवं बिक्रेता खतियानी रैयत का वंशज है। पंजी-II में रैयत का नाम शोमना मांझी, सुखदा मांझी वो जीकु मांझी अंकित है, जो खतियानी रैयत है। पंजी-II खोलने का आधार खतियान से है। भूमि बिक्रेता के कब्जे में है। विक्रेता एवं क्रेता पीरटांड थाना के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता श्री नुनलाल हांसदा, पिता स्व० चुनकु हांसदा, साकिन-लेड़वा, थाना-पीरटांड, जिला-गिरिडीह तथा क्रेता श्री मोहन दुडू, पिता स्व० नुनवा दुडू, साकिन-तेलियाबहियार, थाना-पीरटांड, जिला-गिरिडीह के स्थानीय निवासी है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों संधाल जाति के हैं। बिक्री के बाद बिक्रेता के पास रकवा-4.25 एकड़ भूमि शेष बचता है। अंचल अधिकारी, पीरटांड द्वारा बिक्री करने की अनुशंसा की गई है।

भूमि का ब्यौरा

मौजा	थाना का नाम	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	बिक्री रकवा (डिसमील में)
1	2	3	4	5	6
लेड़वा	पीरटांड	82	17	694	17.91
कुल रकवा (सत्रह दशमलव इक्यानबे डिसमील)					17.91

उक्त भूमि प्रस्तावित क्रेता श्री मोहन दुडू, पिता स्व० नुनवा दुडू, साकिन-तेलियाबहियार, थाना-पीरटांड, जिला-गिरिडीह के पास बिक्री की अनुमति दी जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्ता,
गिरिडीह।

अपर समाहर्ता,
गिरिडीह।